सर्वोच्च प्राथमिकता/रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार

संख्या–739 /60–3–16–26(सा0)/16

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव
पंचायती राज विभाग
उ0प्र0 शासन।
2–निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3–विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला
सम्मान कोष, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः22 अगस्त, 2016

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत 100 महिला ग्राम प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1740–60–3–15, दिनांक 04.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में दिनांक 19.11.2014 को मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत बहादुरी के कार्य करने वाली तथा खेल के क्षेत्र मे विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली 20 महिलाओं/बालिकाओं को और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला ग्राम प्रधानों को प्रतिवर्ष रू0–1.00 लाख से रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।

2. अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 08.03.2016 को की गयी घोषणा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 महिला ग्राम प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उपरिवर्णित शासनादेश के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार की पात्रता हेतु चयन की प्रकिया हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइडलाइन्स) निर्धारित किये गये हैं। इस गाइडलाइन्स में 20 महिला ग्राम प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिये जाने का उल्लेख किया

–2–

Sri Tandan/Go

गया है। सम्प्रति 100 महिला ग्राम प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, अतः उक्त गाइडलाइन्स को 100 महिला ग्राम प्रधानों को पुरस्कार दिये जाने के निमित्त इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत घोषणा के कियान्वयन हेतु 100 महिला ग्राम प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में गाइडलाइन्स के अनुसार नामांकन/नामों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 739 (1)/60–3–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, उ0प्र0।
6. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय महिला कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट/कोष की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. कोष कार्यालय, चतुर्थ–तल, योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

Sri Tandan/Gc